2024/24

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पार्वती बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :– 21/2024 / 2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07/02/2024	पत्रावली तहसीलदार आमेर के पत्रांक मु.अ./2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग का प्राप्त हुआ। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी के दि. 13/02/2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	नारायण सिंह S/o बद्रीसिंह
	13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेज के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रिकार्ड में रखी जावे। उप खण्ड अधिकारी [illegible] जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :— 21 / 2024
जीसीएमएस नं0 :— 2024 / 24
उनवान :— पार्वती बनाम सरकार

::— आदेश —::

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मानपुरा माचेडी की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 933 में सभी खातेदारान की जाति दरोगा दर्ज है। श्रीमान शासन उपसचिव महोदय के आदेश क्रमांक प.3(2) राज–6 / 2021 दिनांक 19.04.2023 की पालना में खातेदार की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
आमेर जयपुर

आमेर जिला जयपुर

C:\Users\TDR\Downloads\136.docx